

FORM NO.111

फर्द अहकाम



(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजेन्द्र प्रसाद वगै० बनाम रामशोपाल वगै०

किस्म मुकदमा:- इजराय

मुकदमा नम्बर:-09/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अह जो इस हुक्म की ता में जारी हुये
14.10.2021	<p>वकील डिक्रीदार श्री झाबर सिंह भारणी एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2021 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 20.10.21 को पेश हो।</p> <p> दिलीप सिंह</p>	
12.03.2022	<p>उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर से गिरकर आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भू.अ. श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 442/एल.आर. /22 दिनांक 18.02.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना जरिये नामान्तकरण संख्या 447 दिनांक 28.01.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p> (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	<p>नामान्तकरण संख्या 447 28-01-2022</p> 